



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092020-221501
CG-DL-E-02092020-221501

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2642]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2020/भाद्र 10, 1942

No. 2642]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020/BHADRA 10, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

का. आ. 2973(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के गुमला जिले में NH23 के कि.मी. 46.8 से कि.मी.88.6 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गुमला) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 जून 2020 " को " द टाइम्स आफ इंडिया" और "हिन्दुस्तान" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखंड राज्य के गुमला जिले में NH23 के कि.मी. 46.8 से कि.मी.88.6 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गुमला) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड		जिले का नाम: गुमला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिसई				
	गांव का नाम: निमड़ा				
1	264	निजी (रैयती)	टांड II	0.0362	बंधन उरांव पिता सारू उरांव वो मदन उरांव वो बिरसा उरांव वो बिरिया उरांव पिता ठुईया उरांव (२६४)
2	266	निजी (रैयती)	टांड II	0.0367	एतवा महली वो लकु महली वो बन्धनु महली पिता सुखन महली (२६६)
3	268	निजी (रैयती)	परती पथल	0.0032	गैर मजरूआ मालीक (२६८)
4	269	निजी (रैयती)	टांड II	0.0608	नरेश साहु वो धनेश्वर साहु पिता पदुमन साहु वो रामेश्वर साहु वो बिन्देश्वर साहु वो शिवपूजन साहु वो रोपना साहु वो राजेन्द्र साहु वो देवमोहन साहु पिता जयगोविन्द साहु वो अनिरूध प्रसाद साहु वो रविन्द्र प्रसाद साहु पिता रामचन्द्र साहु (२६९)
5	405	निजी (रैयती)	टांड II	0.0503	नरेश साहु वो धनेश्वर साहु पिता पदुमन साहु वो रामेश्वर साहु वो बिन्देश्वर साहु वो शिवपूजन साहु वो रोपना साहु वो राजेन्द्र साहु वो देवमोहन साहु पिता जयगोविन्द साहु वो अनिरूध प्रसाद साहु वो रविन्द्र प्रसाद साहु पिता रामचन्द्र साहु (४०५)
6	411	निजी (रैयती)	परती कदीम	0.018	सोहराई उरांव वो फूलचन्द उरांव पिता गोंया उरांव (४११)
7	412	निजी (रैयती)	टांड II	0.1714	सोहराई उरांव वो फूलचन्द उरांव पिता गोंया उरांव (४१२)
			कुल	0.3766	

[फा. सं. NHAI/PIU/PD/RNC/NH-23/LA/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2020

S.O. 2973(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH23 on the stretch of land from Km. 46.8 to Km. 88.6 (Deputy Commissioner Office Gumla) in the district of Gumla in the state of JHARKHAND;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Hindustan” both dated 19 June 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH23 in the stretch of land from Km. 46.8 to Km. 88.6 (Deputy Commissioner Office Gumla) in the district of Gumla in the state of JHARKHAND

State: JHARKHAND District: Gumla					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sisai				
	Viilage: Nimra				
1	264	Private (Raiyati)	Tand II	0.0362	Bandhan Oraon S/O Saru Oraon & Madan Oraon , Birsra Oraon , Biriya Oraon S/O Thuiya Oraon 264
2	266	Private (Raiyati)	Tand II	0.0367	Etwa mahli , Laku mahli, Bandhnu mahli S/O Sukhan mahli 266
3	268	Private (Raiyati)	Parti Pathal	0.0032	Gair Majruwa Malik 268
4	269	Private (Raiyati)	Tand II	0.0608	Naresh sahu , Dhaneshwar sahu s/o Paduman sahu & Rameshwar sahu, Bindeshar sahu , Shivpujan sahu, Ropna sahu , Rajendra sahu, Deomohan sahu S/O Jai govind sahu & Anirudh Prasad sahu, Ravindra Prasad sahu S/O Ramchandra sahu 269

5	405	Private (Raiyati)	Tand II	0.0503	Naresh Sahu, Dhaneshwar Sahu S/o Paduman Sahu & Rameshwar Sahu, Bindeshwar Sahu, Shivpujan Sahu, Ropna Sahu, Rajendra Sahu, Deomohan Sahu S/o Jai Govind Sahu & Anirudh Prasad Sahu, Ravindra Prasad Sahu S/o Ramchandra Sahu 405
6	411	Private (Raiyati)	Parti Kadim	0.018	Sohrai Oraon, Fulchand Oraon S/O Goya Oraon 411
7	412	Private (Raiyati)	Tand II	0.1714	Sohrai Oraon, Fulchand Oraon S/O Goya Oraon 412
			TOTAL	0.3766	

[F. No. NHAI/PIU/PD/RNC/NH-23/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.